

बिहार सरकार

अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग
सं०-सं०-०५/निदे० (सी०एस०एस०)-६१-०५/२०१२- ११६

प्रेषक,

वीरेन्द्र कुमार (भा०प्र०से)
निदेशक।

सेवा में,

सभी जिला कल्याण पदाधिकारी,
बिहार।

पटना, दिनांक- 20.03.17

विषय:- वित्तीय वर्ष-2016-17 में अनुसूचित जातियों के बहुमुखी विकास हेतु भारत सरकार से शत-प्रतिशत अनुदान के रूप में प्राप्त अनुसूचित जाति उपयोजना के तहत विशेष केन्द्रीय सहायता की राशि से आयोत्पादक योजनाओं के लिए कार्यालय व्यय, प्रशिक्षण व्यय, सामग्री एवं पूर्तियाँ, लघु कार्य तथा मशीनें एवं उपस्कर में कुल-38,86,91,000/- (अड़तीस करोड़ छियासी लाख एकानवे हजार रू०) मात्र राशि का आवंटन।

महाशय,

-1- उपर्युक्त विषयक के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष-2016-17 में अनुसूचित जातियों के बहुमुखी विकास हेतु भारत सरकार से शत-प्रतिशत अनुदान के रूप में प्राप्त अनुसूचित जाति उपयोजना के तहत विशेष केन्द्रीय सहायता की राशि से आयोत्पादक योजनाओं के लिए कार्यालय व्यय, प्रशिक्षण व्यय, सामग्री एवं पूर्तियाँ, लघु कार्य तथा मशीनें एवं उपस्कर में कुल-38,86,91,000/- (अड़तीस करोड़ छियासी लाख एकानवे हजार रू०) मात्र राशि की स्वीकृति विभागीय स्वीकृतादेश संख्या-112 दिनांक-18.03.17 द्वारा स्वीकृत राशि संलग्न विवरणी के अनुसार आवंटित की जाती है।

-2- कुल भारत राशि का व्यय वर्ष-2016-17 में योजना बजट मुख्य शीर्ष "2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-उपमुख्य शीर्ष-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-लघु शीर्ष-793- अनुसूचित जाति घटक योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता -उपशीर्ष-0401-अनुसूचित जाति के बहुमुखी विकास-मांग संख्या-44-विषय शीर्ष-1301-कार्यालय व्यय, 2003-प्रशिक्षण व्यय, 2101-सामग्री एवं पूर्तियाँ, 2701-लघु कार्य, 5201-मशीनें एवं उपस्कर, विपत्र कोड-S2225017930401 (योजना कोड-पी०एफ०एम०एस० कोड-0958) के अन्तर्गत विकलनीय है।

-3- इस योजना हेतु वित्तीय वर्ष-2016-17 में केन्द्र सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के पत्रासंक-11014/02/2016-SCD-II दिनांक-09.06.2016 द्वारा कुल-38,86,91,000/- (अड़तीस करोड़ छियासी लाख एकानवे हजार रू०) विमुक्त किया गया है।

-4- उक्त आवंटित राशि के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला के जिला कल्याण पदाधिकारी होंगे। इस योजना के लिए नियंत्री पदाधिकारी संबंधित जिला के जिला पदाधिकारी होंगे।

-5- कुल आवंटित राशि 38,86,91,000/- (अड़तीस करोड़ छियासी लाख एकानवे हजार रू०) मात्र में से राशि का व्यय अनुसूचित जातियों के बहुमुखी विकास हेतु आयोत्पादक योजनायें के तहत कार्यालय व्यय, प्रशिक्षण व्यय, सामग्री एवं पूर्तियाँ, लघु कार्य तथा मशीनें एवं उपस्कर हेतु आवंटित की जा रही है। इस राशि का व्यय जिला कल्याण पदाधिकारी द्वारा सभी अनुसूचित जातियों के आर्थिक विकास हेतु किया जायेगा।

-6- वित्त विभाग के द्वारा निर्गत परिपत्र पत्रांक-2561 दिनांक-17-4-98 एवं केन्द्र सरकार द्वारा निर्गत मार्ग दर्शन तथा राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अन्य परिपत्रों में निहित निदेशों के आलोक में राशि की निकासी एवं व्यय किया जायेगा।

-7- जिला कल्याण पदाधिकारी आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र नियमानुसार महालेखाकार में समर्पित करते हुए इसकी सूचना अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण को भेजेंगे।

-8- इसकी सूचना सभी संबंधित पदाधिकारियों को दी जा रही है।

-9- कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना दी जाय।

विश्वसभाजन

निदेशक

ज्ञापांक-4/एस0सी0ए0-61-05-2012- 116

पटना, दिनांक-20.03.12

प्रतिलिपि:-महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बजट शाखा/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/सचिव, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग के आप्त सचिव/सभी संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संयुक्त सचिव, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग/सभी संबंधित जिला पदाधिकारी/सभी संबंधित उप विकास आयुक्त/सभी संबंधित उप निदेशक, कल्याण/सभी संबंधित जिला कल्याण पदाधि/उप निदेशक(मु0), अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग/सहायक निदेशक अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग/बजट शाखा, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग/लेखा शाखा, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग (दोहरी प्रति में)/सांख्यिकी कोषांग, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ज्ञापांक-4/एस0सी0ए0-61-05-2012- 116

पटना, दिनांक-20.03.12

प्रतिलिपि:-सभी जिला कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

In

निदेशक 20/3/12

विवरणी

वित्तीय वर्ष 2016-17 में तृतीय अनुपूरक के माध्यम से अनुसूचित जातियों के बहुमुखी विकास हेतु भारत सरकार से शान-प्रतिशान अनुदान में प्राप्त अनुसूचित जाति उपयोगना के तहत विशेष केन्द्रीय सहायता की राशि से आयउत्पादक योजना मद के लिए आवंटित राशि का विवरणी।

(राशि रूपया लाख में)

क्रमक	जिला का नाम	अनुसूचित जाति की जनसंख्या	अनुसूचित जाति उपयोगना के तहत विशेष केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत आवंटन (विपत्र कोड- S 2225017930401)					कुल आवंटित राशि (4+5+6+7+8)
			कार्यालय व्यय- कूट संख्या 1301	प्रशिक्षण व्यय- कूट संख्या 2003	सामग्री एवं पूर्तियाँ- कूट संख्या 2101	सूक्ष्म कार्य - कूट संख्या 2701	महीन एवं हथकर व्यय- कूट संख्या 5201	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	पटना	9.21	0.82	130.00	63.00	22.00	1.08	216.90
2	नालंदा	6.08	0.55	86.00	42.00	15.00	0.72	144.27
3	रोहतास	5.50	0.49	77.00	38.00	13.00	0.65	129.14
4	भभुआ	3.69	0.33	52.00	25.00	9.00	0.43	86.76
5	मोतिपुर	4.25	0.38	60.00	29.00	10.00	0.5	99.88
6	बक्सर	2.52	0.22	35.00	17.00	6.00	0.3	58.52
7	गया	13.34	1.19	188.00	91.00	31.00	0.57	311.76
8	जहानाबाद	2.23	0.20	31.00	15.00	5.00	0.26	51.46
9	अरवल	1.41	0.13	20.00	10.00	4.00	0.16	34.29
10	नवादा	5.65	0.51	79.00	39.00	13.00	0.66	132.17
11	औरंगाबाद	6.12	0.55	86.00	42.00	15.00	0.72	144.27
12	मधेपुरा	4.74	0.42	67.00	33.00	11.00	0.56	111.98
13	मिर्जापुर	3.87	0.34	54.00	26.00	9.00	0.46	89.80
14	मोघालगंज	3.20	0.29	45.00	22.00	7.00	0.38	74.67
15	मुजफ्फरपुर	7.52	0.67	106.00	50.00	17.00	0.88	174.55
16	सोनभद्र	4.06	0.36	57.00	28.00	9.00	0.48	94.84
17	शिवहर	0.97	0.08	14.00	7.00	2.00	0.12	23.20
18	मु. चम्पारण	5.54	0.49	78.00	38.00	13.00	0.65	130.14
19	मु. चम्पारण	6.50	0.58	91.00	45.00	15.00	0.76	152.34
20	बैशाही	7.38	0.66	104.00	51.00	17.00	0.85	173.51
21	दरभंगा	6.16	0.55	86.00	42.00	15.00	0.72	144.27
22	मधुबनी	5.87	0.53	83.00	40.00	14.00	0.69	138.22
23	समस्तीपुर	8.03	0.72	113.00	54.00	19.00	0.94	187.66
24	सहरसा	3.17	0.29	45.00	22.00	7.00	0.37	74.66
25	सुपौल	3.54	0.31	50.00	24.00	8.00	0.41	82.72
26	मधुपुरा	3.46	0.30	50.00	23.00	8.00	0.4	81.70
27	मुनिगा	3.91	0.35	55.00	26.00	9.00	0.46	90.81
28	मुनिगा	3.83	0.34	54.00	26.00	9.00	0.45	89.79
29	किशनगंज	1.13	0.10	16.00	8.00	3.00	0.13	27.23
30	कटिहार	2.63	0.23	37.00	18.00	6.00	0.31	61.54
31	भागलपुर	3.19	0.29	45.00	22.00	7.70	0.38	75.37
32	शंकर	2.48	0.22	35.00	17.00	6.00	0.29	58.51
33	मुंगेर	1.84	0.17	26.00	13.00	4.00	0.22	43.39
34	सुपौल	1.53	0.14	21.00	11.00	4.00	0.18	36.32
35	बक्सर	1.31	0.12	18.00	9.00	3.00	0.15	30.27
36	सुपौल	3.03	0.27	42.00	20.00	7.00	0.35	69.63
37	मुजफ्फरपुर	2.47	0.22	35.00	16.00	6.00	0.28	57.50
38	मुजफ्फरपुर	4.32	0.37	61.00	30.00	10.00	0.5	101.87
	कुल योग	165.67	14.78	2332.00	1132.00	388.70	18.43	3885.91

(अड़तीस करोड़ पचासी लाख एकान्च हजार रु०) मात्र

निदेशक
20/3/17

पत्रांक- 116
allotment-cs-15-16

दिनांक-20.03.17 का अनुलग्नक ।

JM